संख्या-1/3/96-का-4-2007

प्रेषक,

जे.एस.दीपक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांकः 11 सितम्बर, 2007

विषयः- सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 24 मई, 2007, दिनांक 28 जून, 2007 एवं दिनांक 18 जुलाई, 2007 के क्रम में, शासनादेश दिनांक 24 मई, 2007 के प्रस्तर-9(1) में आंशिक संशोधन करने हेतु शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णय से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है :-

9(1) समस्त विभागों के संयुक्त निदेशक एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारियों के स्थानान्तरण मा.विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन से किये जायेंगे किन्तु विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों के स्थानान्तरण मा.मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन से किये जायेंगे।

2. अनुरोध है कि शासन द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

10/9/07

(जे.एस.दीपक)
प्रमुख सचिव

संख्या-1/3/96(1)-का-4-2007,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल जी ।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
3. निजी सचिव, मा.मंत्रिगण ।
4. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्रिमण्डलीय सचिव/ मुख्य सचिव ।
5. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश ।
6. प्रमुख सचिव, विधान परिषद / विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
7. विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मा. मुख्य मंत्री जी ।
8. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
9. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव